::राजस्थान–सरकार::

कार्यालय प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, डॉ0 सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एंव संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांकः–एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2021/ दिनांकः .07.2021

::कार्यालय आदेश::

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्ठता में सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम छः माह की अवधि अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	नाम	विशिष्ठता	जन्म तिथि
1	डॉ. वरूण सिंह शेखावत	**Dentistry**	03.11.1986
2	डॉ. कनिका सिंघल	**Dentistry**	28.11.1987

- **सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर चयन शुरूआत में छः माह के लिए किया गया है, तत्पश्चात् विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा संतोषजनक प्राप्त होने पर पुनः छः माह के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिवृद्धि की जा सकती है। अद्योहस्ताक्षर द्वारा सेवा अभिवृद्धि आदेश के अभाव में संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट चिकित्सक की सेवाएं स्वतः समाप्त समझी जायेगी।**
- उपरोक्त सीनियर रेजीडेन्ट को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टाईफण्ड रू. 61000/– एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सक के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी।
- उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यार्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यार्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ–साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होगी।
- इन्हें नियमानुसार इस छः माह की अवधि के दौरान 07 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेन्ट के रूप में करना होगा । इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टाईफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहरण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगी।
- सीनियर रेजीडेन्ट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा,
- महिला अभ्यार्थियों को सीनियर रेजीडेन्सी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेन्ट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टाईफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(डॉ शैतान सिंह राठौड़)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः–एफ. 2/स्था./आमवि/जो0/2021/12855-60 दिनांकः 7.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दंत रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
3- नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
4- लेखाशाखा, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
5- संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
6- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

(डॉ शैतान सिंह राठौड़)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक